

130  
म/विम०/रीवा/भू-य०/2017/4799

237

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)



इन्द्रपाल तिवारी तनय स्व० रामकुमार तिवारी, उम्र 72 वर्ष, पेंशनर, निवासी ग्राम टीकर, सर्किल गोविन्दगढ़, तह० हुजूर, जिला रीवा (म०प्र०) द्वारा मुख्याय कमलेश्वर प्रसाद तिवारी आत्मत श्री इन्द्रपाल तिवारी, उम्र 49 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम टीकर निमिहन टोला, तह० हुजूर, जिला रीवा (म०प्र०)

Rs 301 -

आवेदक

बनाम

पारसनाथ तिवारी तनय श्री इन्द्रपाल तिवारी, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम टीकर निमिहन टोला, तह० हुजूर, जिला रीवा (म०प्र०) ————— अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय तह० हुजूर, जिला रीवा म०प्र० के रा०प्र० क्र 6अ-70/17-18 मे पारित आदेश दिनांक 28.11.2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर

निगरानी के सक्षिप्त तथ्य :-

भूमि खसरा क्रमांक 2726 रकवा 0.287हे. 2727 रकवा 0.333हे. आराजी नं० 2728 रकवा 0.299हे. आराजी नं० 2729 रकवा 0.033हे. आराजी नं० 2966 रकवा 0.417हे. आराजी नं० 2992 रकवा 0.412हे. स्थित ग्राम टीकर, प०ह० टीकर, सर्किल गोविन्दगढ़, जिला रीवा (म०प्र०) की है। उक्त भूमि निगरानीकर्ता के नाम राजस्व पंजी क्रमांक 56 पारित आदेश दिनांक 17.10.1994 मुताबिक वारिसाना नामांतरण द्वारा प्राप्त हुई है उसी मुताबिक राजस्व अभिलेखों में निगरानीकर्ता के नाम इन्द्राज होती रही। गैरनिगरानीकर्ता जो




कमलेश्वर प्रसाद तिवारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू-रा0 / 2017 / 4799

जिला-रीवा

इन्द्रपाल तिवारी / पारसनाथ तिवारी

| (1)      | (2)   | (3) |
|----------|---|-----|
| 23.04.19 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0डी0 कुशवाहा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 6/अ-70/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"> <br/> <br/>           (बी.एम.शर्मा),<br/>           सदस्य         </p> <p style="text-align: right;">  </p> |     |